<u>नोटः– परीवादी साक्षी श्री विनीत द्विवेदी परिवादी साक्षी क्रमांक–1 का आज दिनांक 21.11.2024 को पुनः शपथ पर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया ।</u>

<u>साक्ष्य प्रारंभ समय 01:36 pm बजे–</u>

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री धनेश विश्वकर्मा वास्ते आरोपी</u>

12. यह कहना सहीं है कि, मेरे द्वारा दिनांक 31.05.2018 को परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया था, स्वतः कहा कि, मेरे पूर्व के आम मुख्त्यार श्री सुरेन्द्र कुमार बिसेन के द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया था । यह कहना गलत है कि, उक्त परिवाद के अंतर्वस्तु के बारे में सुरेन्द्र कुमार बिसेन उम्र 34 वर्ष, पिता श्री पंचमलाल बिसेन ही जानकारी रखते थे । यह कहना सहीं है कि, परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं. सहपठित धारा 138 एवं 142 लिखत परक्राम्य अधिनियम 1988 संशोधित, शपथपत्रीय साक्ष्य अंतर्गत् धारा 145 लिखत परक्राम्य अधिनियम एवं शपथपत्र उक्त परिवाद में मेरे द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है । यह कहना सहीं है कि, एच डी बी फायनेंस लिमिटेड परिवादी कंपनी एवं सुरेन्द्र कुमार बिसेन ने उक्त प्रकरण या परिवाद के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं ऐसा दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है, स्वतः कहा कि, मेरा धारा 145 का शपथपत्र दिनांक 28.01.2020 प्रकरण में प्रस्तुत है ।

13. यह कहना सहीं है कि, उक्त कंपनी में डायरेक्टर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर होता है । यह कहना सहीं है कि, उक्त कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सभी विभाग का प्रमुख होता है । यह कहना गलत है कि, उक्त कंपनी के सभी कार्यवाही के दौरान हस्ताक्षर या उसका सील लगाना जरूरी है । यह कहना गलत है कि, मुझे उक्त परिवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है । यह कहना सहीं है कि, किसी भी फायनेंस कंपनी से कोई भी व्यक्ति लोन का आवेदन करता है तो कंपनी द्वारा उक्त आवेदन पर विचार कर उक्त व्यक्ति जो लोन लेने वाले हैं सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर एवं संतुष्ट होकर लोन हेतु आवेदन को स्वीकार किया जाता है । यह कहना सहीं है कि, उक्त आवेदन में यह भी उल्लेख होता है कि, उक्त ऋण या लोन किस बाबत् मांग की गई है । यह कहना सही है कि, उक्त आवेदन का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कंपनी एवं लोन लेने वाले व्यक्ति के मध्य अनुबंध निष्पादित होता है । यह कहना सहीं है कि, उक्त परिवाद पत्र में मेरे द्वारा आरोपी का लोन हेतु आवेदन की प्रति एवं कंपनी और आरोपी के मध्य निष्पादित अनुबंध का भी प्रति परिवाद में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

14. यह कहना सहीं है कि, उक्त ऋण लेने वाले व्यक्ति के द्वारा ऋण हेतु कब आवेदन प्रस्तुत किया था मुझे जानकारी नहीं है तथा परिवादी कंपनी एवं ऋण लेने वाले व्यक्ति के मध्य अनुबंध निष्पादित होने के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है । यह कहना सहीं है कि, उक्त परिवाद में उल्लेखित ऋण किस बाबत् लिया गया था, मुझे जानकारी नहीं है, स्वतः कहा कि, वाहन हेतु ऋण लिया गया था । यह कहना सहीं है कि, मैं उक्त परिवाद में भी कौन से वाहन से संबंधित ऋण हेतु संपर्क किया था, इसका भी मुझे जानकारी नहीं है । यह कहना सहीं है कि, हमारी कंपनी द्वारा यदि कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो उस व्यक्ति के सक्षम समर्थ, असमर्थ संबंधित दस्तावेज भी कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । यह कहना सहीं है कि, उक्त परिवाद पत्र में वाहन की कीमत क्या था, इसका भी उल्लेख नहीं है न ही मुझे जानकारी है । यह कहना सहीं है कि, जब हम लोग किसी व्यक्ति को ऋण देते हैं तो उक्त ऋण को किस्तों में अदा की जाती है । यह कहना सहीं है कि, मुझे उक्त परिवाद पत्र में उललेखित ऋण कितने रूपये के लिए लिया था एवं कितने रूपये किस्त में देना होता है इसका भी उल्लेख नहीं है ।

15. यह कहना सहीं है कि, हमारे कंपनी द्वारा ऋण लेने वाले व्यक्ति से औपचारिक रूप से सारे दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक लिया जाता है । यह कहना गलत है कि, उक्त ऋण के सुरक्षा हेतु पोस्ट डेटेड चेक या जमीन से संबंधित जमानत के रूप में लिया जाता है, स्वतः कहा कि, कुछ प्रकरणों में जमीन से संबंधित दस्तावेज लिया जाता है। यह कहना सहीं है कि, हमारी कंपनी को किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऋण की राशि की अदायगी किस्त में की जाती है । यह कहना सहीं है कि, यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त ऋण राशि की किस्त चूक हो जाती है तो उक्त राशि की भरपाई के लिए नोटिस दी जाती है । यह कहना सहीं है कि, उक्त परिवाद पत्र में किस्त की राशि अदायगी हेतु आरोपी को नोटिस दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है स्वत कहा कि, मांग सूचना पत्र प्रेषित किया गया था । यह कहना सहीं है कि, प्रदर्श पी–2, 4, 6 में उल्लेखित राशि किस्त की राशि नहीं है, स्वतः कहा कि, आरोपी द्वारा ऋण अदायगी हेतु चेक दिया था ।

16. यह कहना सहीं है कि, उक्त वाहन की ऋण की बकाया राशि के बारे में मुझे जानकारी नहीं है । यह कहना सहीं है कि, उक्त वाहन की ऋण की राशि कंपनी को कितना दिया जा चुका है मुझे इसकी जानकारी नहीं है । यह कहना सहीं है कि, मुझे उक्त वाहन की ऋण राशि की बकाया राशि कितना देना है जानकारी नहीं है । यह कहना गलत है कि, कोई भी व्यक्ति हमारी कंपनी में ऋण लेने हेतु आवेदन करते हैं एवं उक्त औपचारिक दस्तावेज लेने के बाद सक्षम या समर्थ न होने के कारण ऋण नहीं दिया जाता है । यह कहना सहीं है

कि, मुझे उक्त परिवाद प्रस्तुत किये गये सुरेन्द्र कुमार बिसेन के द्वारा उक्त प्रकरण के बारे में लिखित में जानकारी या दस्तावेज नहीं दिये थे । यह कहना गलत है कि, आरोपी ने मेरे कंपनी से किसी भी प्रकार की वाहन को ऋण के आधार पर नहीं खरीदी गई थी ।

17. यह कहना सहीं है कि, सुरेन्द्र बिसेन कंपनी का प्राधिकृत अधिकारी था । यह कहना सहीं है कि, सुरेन्द्र बिसेन अपने कार्यकाल में उक्त कंपनी से संबंधित कार्य के बारे में मुझे जानकारी नहीं है । यह कहना सहीं है कि, यदि आरोपी से सुरेन्द्र बिसेन द्वारा क्या क्या दस्तावेज पोस्ट डेटेड चेक या जमीन संबंधी दस्तावेज ली होगी मैं नहीं बता सकता, स्वतः कहा कि, दस्तावेज लेने का कार्य सेल्स डिपार्टमेंट का होता है । यह कहना गलत है कि, हमारी कंपनी की ओर से आरोपी के विरूद्ध झूठा प्रकरण पेश किया गया है ।

<u>प्रतिपरीक्षण समाप्त ।</u>

<u>साक्ष्य समाप्ति समय 02:35 pm बजे</u>

वाचित / सत्य स्वीकृत

सहीं/-
(सुरेश टोप्पो)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर छ0ग0

मेरे निर्देश पर टंकित किया

सहीं/-
(सुरेश टोप्पो)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर छ0ग0

साक्षी के हस्ताक्षर .....